न्यायालयः– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, किशनगंज।

उपस्थितिः– सुरेश कुमार सिंह– द्वितीय,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
किशनगंज।

किशनगंज, दिनांक 26वीं मई, 2026

जमानत आवेदन संख्या– 182/2026

अन्तर्गत बहादुरगंज थाना कांड संख्या– 290/2026

सरफुल आलम उर्फ सरकुल आलम ..... (अभियुक्त)

बनाम

बिहार सरकार (विपक्षी पक्ष)

वपचापवक्ष के विपद्वान अधिवक्ताः– श्री अमल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ताः– श्री सुरेन प्रसाद साहा, अपर लोक अभियोजक।

26.05.2026 काराधीन अभियुक्त सरफूल आलम उर्फ सरकुल आलम की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। अभियुक्त 30.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा मे है। यह मामला बहादुरगंज थाना कांड संख्या 290/2026 के तहत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7 के तहत पजीकृत है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजन को प्राप्त कराई गयी। जमानत आवेदन पर उभयपक्षो को सुना।

सूचिका के द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि दिनांक 29.04.2026 को समय करीब 18.00 बजे सूचिका को वरीय पदाधिकारी के द्वारा सूचना दिया गया कि प्रेमनगर बहादुरगंज में कुछ मानव तस्करों के द्वारा देह व्यापार का धंधा जबरन नाबालिक लड़कियों से करवाया जा रहा है, जिसमें कई लड़कियॉ नाबालिग है। प्राप्त सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक छापाकारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के सभी सदस्य समय करीब 20.10 बजे प्रेमनगर के लिए प्रस्थान किये। छापामारी के क्रम में पुलिस को देखकर अफरा–तफरा की स्थिति बन गयी और लोग घरों से निकलकर इधर–उधर भागने लगे तथा भागने के क्रम में पॉच पॉच पुरूष एवं दो महिला को पकड़ा गया। घटना स्थल से पकड़ी गयी दो महिलाओं के कमरे की तलाशी लेने पर कन्डोम कई पैकेट बरामद हुए तथा उक्त महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि मनु आरा के द्वारा यहां पर लाकर देह व्यापार का धंधा कराया जाता है। बारिस एवं अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ पुरूष एवं कुछ महिलायें भागने मे सफल हो गये। सभी अभियुक्तों को विधिवत् जप्ती सूची बनाकर गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात् बहादुरगंज थाना कांड संख्या 290/2026 अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7 के तहत पजीकृत किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त दिनांक 30.04.2026 से कारा अभिरक्षा मे निरूद्ध है। अभियुक्त के द्वारा इस अदालत या अन्य अदालत में जमानत या अग्रिम जमानत के लिए कोई याचिका दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ पहले से कोई अपराधिक ईतिहास नहीं है। अभियुक्त द्वारा विद्वान माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में जमानत आवेदन दाखिल किया है जिसे दिनांक 06.05.2026 को खारिज

न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, किशनगंज।
जमानत आवेदन संख्या— 182/2026
अन्तर्गत बहादुरगंज थाना कांड संख्या— 290/2026

लगातार

26.05.2026

किया गया है। अभियुक्त पूरी तरह निर्दोष है और उसने अपने उपर लगाए गए किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। सूचिका द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठा, मनगढ़ंत एवं सत्य से परे है। अभियुक्त का तथाकथित घटना या किसी अनैतिक कृत्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभियुक्त को पुलिसकर्मियो द्वारा प्रताड़ित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता नें आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक नें जमानत का विरोध किया विद्वान अपर लोक अभियोजक नें अभियुक्त के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना किया।

उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि अभियुक्त प्राथमिकी का नाजमद अभियुक्त है तथा उसे घटना स्थल से पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। छापामारी के दौरान पकड़ी दोनो महिलाओं का बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत अनुसंधान के दौरान कराया गया। पहली महिला सलमा ने अपने बयान मे कहा है कि उसका पति मर चुका है तथा वह उक्त घर मे झाडू पोछा का काम करती थी। वहां पर मनु आरा लड़कियों को ले जाकर देह व्यापार का घंघा कराती थी। दूसरी महिला हेना ने अपने बयान मे कहा है कि उसका पति मर चुका है तथा वह पैसे के लालच मे घंघा मे आई थी। मनु आरा देह व्यापार का घंघा कराती थी तथा स्वयं भी घंघा करती है। इसने अपने बयान मे यह भी कहा है कि आवेदक सरफूल आलम उर्फ सरकुल आलम भी ग्राहक के रूप में उसके साथ सोते थे। अभियुक्त पर नाबालिग लड़की या किसी महिला के साथ देह व्यापार का घंघा कराने का आरोप नहीं है। देह व्यापार का घंघा कराने का आरोप मनु आरा पर है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 30.04.2026 से कारा में संसीमित है। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त सरफूल आलम उर्फ सरकुल आलम के द्वारा कारा मे बितायी गयी अवधि को ध्यान मे रखते हुए अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त **सरफूल आलम उर्फ सरकुल आलम** के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा उन्हें मो0 10,000/— रूपये के सामान राशि एवं इनते ही राशि के दो प्रतिभुओं सहित बंधपत्र दाखिल करने जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

ह0/—

(सुरेश कुमार सिंह—II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
किशनगंज।
26.05.2026

Date of Judgement/ Order	26-05-2026
Date of reserving Judgemnet/Order	26-05-2026
Uploading Date	26-05-2026
Uploading by	Deposition Writer